R.M.M. Law College Saharsa
LL.B. Part - 1st
Paper — IInd
Constitutional Law

फुटपाथों पर व्यापार करना मूल अधिकार है

सोहन सिंह बनाम न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी के ऐतिहासिक महत्व के फैसले में उच्चतम न्यायालय के 5 न्यायधीशों की पूर्णपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया है कि सड़क के फुटपाथों पर व्यापार करना 19(1)(छ) के अन्तर्गत एक मूलअधिकार है और उस पर केवल अनुच्छेद 19 (6) के अन्तर्गत निर्बन्धन लगाये जा सकते है। प्रस्तुत मामले में याचीगण दिल्ली की सड़कों के फुटपाथों पर फेरी वाले कारोबार करते है। उनका अभिकथन है कि नगर निगम अधिकारियों ने उन्हें शुल्क देने पर फुटपाथों पर व्यापार करने की अनुमति दी थी किन्तु अब वे उन्हें ऐसा करने से रोक रहे है और जिससे उनके अनुच्छेद 19 (1)(छ) में प्रदत्त अधिकार का अतिक्रमण होता है, अतः उन्हें ऐसा करने से रोक देना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि सड़क के फुटपाथों पर कारोबार करना नागरिकों का मूल अधिकार है। सड़क का प्रयोग केवल लोगों के आने जाने के लिए केवल नहीं किया जा सकता है। इसका प्रयोग अन्य प्रयोजनों के लिए भी किया जा सकता है। यह अमेरिका एवं इंगलैण्ड जैसे विकसित देशों

में भी प्रचलित है। भारत जैसे निर्धन देश में इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। किन्तु इसका उचित विनियमन किया जाना आवश्यक है। फेरीवालों को यह अधिकार नहीं है कि वे अपने मन से जहाँ चाहें वहाँ कारोबार करें। उन्हें प्रत्येक सड़क पर कारोबार करने का अधिकार नहीं है। यदि सड़क यातायात के लिए पर्याप्त चौड़ी नहीं है तो वहाँ फेरीवालों को व्यापार करने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जा सकती है अथवा सप्ताह में एक दिन दी जा सकती है। फेरीवालों को सड़क पर व्यापार करने का अधिकार है किन्तु सरकार अनुच्छेद 19(6) के अधीन उस पर युक्तियुक्त निर्बन्धन लगा सकती है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि समुचित कानून बनाकर सड़क पर व्यापार करने को विनियमित करें और फेरीवालों के लिए स्थान निर्धारित करें जहाँ वे व्यापार कर सकें।

इस निर्णय के प्रभाव बड़े दूरगामी होंगे। भारत के सभी शहरों में यह समस्या बड़ी विकट है। असंख्य लोग सड़क पर व्यापार करते हैं। प्रायः यातायात बाधित हो जाता है और आम जनता को असुविधा होती है। भारत में जनसंख्या बहुत है और जितने लोग वैध रूप से व्यापार करते हैं उससे बहुत अधिक लोग अवैध रूप से व्यापार करते हैं। इनका विनियमन बहुत ही कठिन कार्य है।

किन्तु हड़ताल और तालाबन्दी को रोकना एक अलग बात है। राज्य लोकहित में जिससे सार्वजनिक उपयोग की सेवाएँ चलती

रहे, हड़ताल अथवा तालाबन्दी करने पर प्रतिबन्ध लगा सकता है।

निर्बन्धन के आधार —

इस अनुच्छेद के खण्ड (6) के अंतर्गत राज्य वृत्ति, उपजीविका, व्यापार एवं कारोबार के अधिकार पर युक्तियुक्त निर्बन्धन लगा सकता है। किन्तु शर्त है कि निर्बन्धन (1) युक्तियुक्त हों और (2) लोकहित में हो। लोकहित के आधार पर निर्बन्धनों की युक्तियुक्तता का निर्धारण करने के लिए देश काल व्यवसाय की प्रकृति और उसमें मौजूद सभी तत्वों पर ध्यान देना आवश्यक है। यह साफ है कि प्रत्येक व्यवसाय में ये तत्व भिन्न-भिन्न होते हैं और ऐसे नियम नहीं बनाये जा सकते जो सामान्य रूप से सभी व्यापारों में लागू होते हों।

अनुच्छेद 19(1)(छ) किसी व्यक्ति को अवैध या अनैतिक पेशा करने का अधिकार नहीं प्रदान करता है। ऐसे व्यापार जो अवैध नहीं हैं और जनता के स्वास्थ्य या नैतिकता को क्षति नहीं पहुँचाते रोके नहीं जा सकते हैं। किन्तु उनको विनियमित किया जा सकता है। कुछ व्यवसाय स्वभावतः शोर-गुल और खतरनाक प्रकृति के होते हैं, इसलिए उनके करने के लिए स्थान समय और ढंग को नियमित करने की आवश्यकता होती है। किसी भी नागरिक को यह अधिकार नहीं होता है कि वह किसी स्थान पर चाहे व्यापार करे। यदि उसके कार्य से सार्वजनिक स्वास्थ्य को हानि या किसी प्रकार की असुविधा होती है तो राज्य उस पर उचित

Scanned with CamScanner

(4)

निर्बन्धन लगा सकता है।

युक्तियुक्त निर्बन्धन प्रतिषेध के रूप में भी हो सकते हैं। इस प्रकार राज्य ऐसे निर्बन्धन भी लगा सकता है जो किसी व्यापार या पेशा करने पर पूर्ण रोक लगाते हैं। निषेध एक प्रकार का निर्बन्धन ही है।

नियाजुद्दीन बनाम भारत संघ के मामले में रेलवे एक्ट 1890 की धारा 27 (क) के अधीन यह आदेश जारी कर सरकार की कोयला आपूर्ति करने के लिए रेलवे वैगनों को देने में निजी व्यापारियों के ऊपर प्राथमिकता दी गयी। इसके कारण निजी व्यापारियों के लिए कई वैगनों की कमी हो गयी। यह अभिनिर्धारित किया गया कि निजी व्यापारियों के कोयला-आपूर्ति के अधिकार पर पूर्ण निषेध नहीं है बल्कि एक युक्तियुक्त निर्बन्धन है, क्योंकि पिटिशनरों को वैगन आवंटन से बिल्कुल इन्कार नहीं किया गया है वरन् राज्य को प्राथमिकता दी गयी है, रेलवे ही कोयला भेजने का एकमात्र साधन नहीं है। उपर्युक्त कार्यवाही से पिटिशनरों के कोयला व्यापार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है जिसे वे अन्य साधनों से भेज सकते हैं। वे कोयला का व्यापार करते हैं उसे भेजने का व्यापार नहीं करते।

युक्तियुक्त निर्बन्धन :-

(1) ऐसी विधि जो सरकार को बस-स्टैण्डों, सिनेमाघरों, शराब की दुकान

आदि को स्थापित करने के लिए एक निश्चित वेतन नियत करने की शक्ति प्रदान करती है। यह अनुच्छेद 19(1)(g) के अधिकार पर युक्तियुक्त निर्बन्धन है।

(2) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम सरकार को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह किसी कारखाने में कार्य कर रहे मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करे।

(3) ऐसी विधि जो जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करती है या उनके उत्पादन एवं विक्रय पर नियंत्रण रखने का उपबन्ध करती है।